आदेश की क्रमांक एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 1	आदेश पर की गई कार्यवाही

उपायुक्त का न्यायालय, साहेबगंज।

आर0एम0ए0 वाद सं0 21/2017–18

देवनारायण महतो वगैरह –बनाम– परमेश्वर महतो वगैरह

–: आदेश :–

यह अपील वाद अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल के राजस्व विविध वाद सं0 05/2014–15 (देवनारायण महतो वगै0 –बनाम– परमेश्वर महतो वगै0) में दिनांक 20.08.2016 को पारित आदेश के विरूद्ध देवनारायण महतो वगै0 के द्वारा दायर किया गया।

आवेदन के अवलोकनोपरान्त वाद को अंगीकृत करते हुए उत्तरवादी को नोटिस निर्गत की गई एवं विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल से मूल अभिलेख की माँग की गई।

नोटिस तामिला प्राप्त। उत्तरवादी वकालतनामा के साथ उपस्थित। विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल के पत्रांक 436/रा0, दिनांक 07.12.2018 से अभिलेख प्राप्त।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता का तर्क है कि विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल के द्वारा राजस्व विविध वाद सं0 05/2014–15 में दिनांक 26.08.2016 के पारित आदेश से यह साबित हो जाता है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 35 के उल्लंघन कर आदेश पारित किया गया। अतिक्रमित भूमि राजमहल अंचल अन्तर्गत मौजा महासिंगपुर जमाबंदी नं0–493, दाग नं0–1922, 1923 एवं 2068, रकवा 3 बीघा 10 कट्ठा 16 धूर, 18 कट्ठा 15 धूर एवं 01 बीघा 07 कट्ठा 17 धूर कुल रकवा 05 बीघा 17 कट्ठा 08 धूर है। उक्त राजस्व विविध वाद सं0 05/2014–15 में दिनांक 26.08.2016 को बिना विपक्षी के पश्चात लिखित बहस के आधार पर आदेश पारित कर कानून के नजर में भ्रामक है।

उन्होंने अपने तर्क में यह भी कहा कि मौजा–महासिंगपुर जमाबंदी नं0–493, दाग नं0–1922 रकवा 03 बीघा 10 कट्ठा 16 धूर, दाग नं0–1923 रकवा 18 कट्ठा 15 धूर एवं दाग नं0–2068 रकवा 01 बीघा 07 कट्ठा 17 धूर जमीन अन्तिम सर्वे सेटेलमेंट के अनुसार खतियान ममें अनावाद खास पुरातन पतीत कह कर दर्ज है, जो सरकारी जमीन है। दाग नं0–1922 रकवा 03 बीघा 10 कट्ठा 16 धूर पोखर है, जिसमें ग्रामीणों के द्वारा स्नान करना, जानवरों के पीने का पानी एवं सिंचाई के उपयोग, दाग नं0–1923 रकवा 18 कट्ठा 15 धूर जिसमें ग्रामीणों के द्वारा मैदान के रूप में उपयोग एवं दाग नं0–2068 रकवा 01 बीघा 07 कट्ठा 17 धुर पोखर है, जिसका उपयोग ग्रामीणों के द्वारा पानी पीने हेतु किया जाता है।

आगे अपीलार्थी का यह भी तर्क है कि उत्तरवादी के द्वारा कल्का कर्मचारी से साँठ–गाँठ करके पंजी–II में अपना नाम दर्ज करवा लिया गया है। अंचल अधिकारी, राजमहल द्वारा गहण जाँच नहीं करवाया गया। निम्न न्यायालय द्वारा नियमानुकूल आदेश पारित नहीं किया गया है।

आगे उन्होंने अपने तर्क में यह भी कहा कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा–35 के तहत अनावादी खास जमीन व पोखर का हस्तान्तरण नहीं हो सकता है। फिर भी अवैधानिक रूप से उसका हस्तान्तरण कर लिया गया, जो नियम के प्रतिकूल है। उन्होंने बहस के दौरान यह भी तर्क दिया कि सर्वे बन्दोवस्त पदाधिकारी ने भी 1976 में उत्तरवादी को अवैध दखल पाया एवं पोखर को धानी जमीन के रूप में स्वरूप परिवर्तन पाया गया। विज्ञ अपर समाहर्त्ता, साहेबगंज के न्यायालय में राजस्व विविध वाद सं0 08/1997–98 (ओम प्रकाश महतो –बनाम– नवो कुमार महतो) का मामला 1948 में अनावाद पोखर की बन्दोवस्ती भूतपूर्व जमीनदार द्वारा प्राप्त होने के पश्चात भी संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा–35 के तहत उसे अवैध करार दिया गया।

आदेश की क्रमांक एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्यवाही
	आगे उन्होंने विज्ञ अवर न्यायाधीश, राजमहल के न्यायालय में स्वत्व वाद (Title Suit) सं0 30/1998 (सुलेमान शेख –बनाम– शिवचरण राय) का हवाला देते हुए अपना तर्क दिया कि माननीय न्यायालय द्वारा वादी के आवेदन को खारिज कर दिया गया। उनके द्वारा विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल के राजस्व विविध वाद सं0 05/2014–15 में दिनांक 20.08.2016 को पारित आदेश को अपास्त करने का अनुरोध किया गया है। जवाब में उत्तरवादी के विज्ञ अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी देवनारायण महतो एक मनबढ़ू व्यक्ति है, जो कुछ ग्रामीणों को बहला फुसला कर उत्तरवादी को परेशान करने की नीयत से अपील वाद को लाया गया है। जबकि अपीलार्थी के पास कोई वैध कागजात नहीं है। प्रश्नगत भूमि मौजा–महासिंगपुर तौजी नं0–118 रिभाईज सेटलमेंट दाग नं0–2068 रकवा 01 बीघा 07 कट्ठा 17 धूर जमीन तत्कालीन जमीनदार सुदामय देवी चौधरी, पति–बाबू हरेन्द्र नाथ चौधरी बन्दोवस्तीनामा पत्र निबंधित दस्तावेज सं0–901/1943 दिनांक 13.05.1943 के द्वारा महेन्द्र लाल मंडल, पे0–स्व0 बाबूलाल मंडल के नाम से स्थायी बन्दोवस्ती की गई एवं उक्त समय से ही प्रश्नगत भूमि पर शांतिपूर्ण दखल कब्जे में है। बाबूलाल मंडल को दो पुत्र धीरेन्द्र लाल मंडल एवं महेन्द्र लाल मंडल हुए। महेन्द्र लाल मंडल की अविवाहित मृत्यु वर्ष 1952 में हो गई। सम्पूर्ण भूमि पर धीरेन्द्र लाल मंडल का अधिकार हुए। धीरेन्द्र लाल मंडल के लड़के श्याम सुन्दर मंडल और पोते प्रशान्त मंडल उर्फ उज्जवल मंडल उत्तराधिकारी बने एवं अपने नाम से नामांतरण वाद सं0 303/2014–15 नामांतरण करा कर लगान अदा कर रहे, जिसे किसी भी न्यायालय में कोई चुनौती नहीं दे सकती है। आगे उत्तरवादी ने यह भी तर्क दिये कि प्रश्नगत भूमि में 73 वर्षों से निर्विवाद दखल कब्जे में है। सरकार की जमीन वापस नहीं ले सकता। बी0एल0आर0 एक्ट 1954 के द्वारा जमीनदारों की जमीनदारी समाप्त की गई है। उक्त एक्ट में उल्लेख है कि जमीनदारी उन्मूलन के पूर्व 9 सितम्बर 1949 के पश्चात किसी भी प्रकार की बन्दोवस्ती करता है तो वह अमान्य होगा। परन्तु प्रश्नगत भूमि की बन्दोवस्ती 1943 में की गई है एवं लगान भी अदा कर रहे है। उत्तरवादी का यह भी तर्क है कि मौजा महासिंगपुर के दाग नं0–1922 रकवा 03 बीघा 10 कट्ठा 16 धूर एवं दाग नं0–1923 रकवा 13 कट्ठा 15 धूर जमीन तत्कालीन जमीनदार के सहमति से गुमस्ता (कर्मचारी) अनिल कुमार दूबे विभिन्न रैयतों के पास जमीन बिक्री किया गया। जैसे दाग नं0–1922 रकवा 01 बीघा 15 कट्ठा 08 धूर जमीन परमेश्वर महतो, पे0–स्व0 खोका राम महतो ने निबंधित केवाला सं0–8069 दिनांक 09.12.1964 के द्वारा क्रय कर प्राप्त किया तथा निबंधित केवाला सं0–3208 द्वारा नाथू राम महतो के भाई बिहारी महतो ने भी दाग नं0–1922 की जमीन खरीद कर अपने नाम से नामांतरण भी करा लिये एवं सरकार को लगान भी अदा कर रहे है। सुशील महतो एवं उनके भाई शिवनारायण महतो ने केवाला सं0–4471 दिनांक 25.'10.1968 दाग नं0–1923 रकवा 18 कट्ठा 15 धूर जमीन क्रय कर प्राप्त किये जिसमें सुशील महतो एवं स्व0 शिवनारायण महतो के पुत्र जयनारायण महतो के दखल कब्जे में है। दाग नं0–1922 रकवा 03 कट्ठा 10 धूर भूमि नाथु राम महतो अनिल कुमार दूबे से प्राप्त किये एवं जिसमें उनके पुत्र नीमचंद्र महतो व हीरालाल महतो से वेली देवी, पति–नंदकिशोर महतो ने निबंधित केवाला सं0–2574 दिनांक 30.07.1995 को क्रय कर प्राप्त किये है तथा नामांतरण कराकर लगान अदा कर रहे हे। प्रश्नगत भूमि की दाग नं0–1922 के अंश रकवा 03 कट्ठा सगरी देवी निबंधित केवाला सं0–86/2004 दिनांक 30.04.2004 में क्रय कर मकान बनाकर निवास कर रही है। उनके द्वारा अपीलार्थी के अपील आवेदन को खारिज करने का अनुरोध किया गया है। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने एवं अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल से प्राप्त अभिलेख के अवलोकनोपरान्त स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्रश्नगत भूमि मौजा–महासिंगपुर जमाबंदी नं0–453, दाग नं0–1922 रकवा 03 बीघा 10 कट्ठा 16 धूर, दाग नं0–1923 रकवा 18 कट्ठा 15 धूर एवं दाग नं0–2068 रकवा 01 बीघा 07 कट्ठा 17 धूर कुल रकवा 05 बीघा	

आदेश की क्रमांक एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 3	आदेश पर की गई कार्यवाही
	17 कट्ठा 08 धूर जमीन सर्वे खतियान में अनावादी पूरातन पतीत एवं मंतव्य कॉलम में पोखर कह कर दर्ज है, जिसकी पुष्टि अंचल अधिकारी, राजमहल के प्रतिवेदन से होती है। उभय पक्षों के द्वारा प्रश्नगत भूमि को अनावाद पुरातन प्रतीत बताया जा रहा है। जबकि जमीनदारी प्रथा समाप्त होने के बाद उत्तरवादी द्वारा निम्न दस्तावेजों के माध्यम से खरीदकर दखलकार बने हुए है। अनावाद खास भूमि सरकारी जमीन होती है। उसके बावजूद भी अंचल अधिकारी, राजमहल के द्वारा प्रश्नगत भूमि को नामांतरण कर दिया गया, जो न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। विज्ञ निम्न न्यायालय के द्वारा अभिलेख के गहण अध्यनन किये बिना आदेश पारित कर अंचल अधिकारी, राजमहल को प्रतिप्रेषित करना उचित प्रतीत नहीं होता है। विद्वान निम्न न्यायालय को प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमण की कार्यवाही प्रारम्भ कर विपक्षीगण–उत्तरवादीगण को अनावाद खास (पुरातन पतीत) भूमि से अतिक्रमण मुक्त करना चाहिए। परन्तु ऐसा नहीं किया गया। अतः उपरोक्त तथ्यों पर सम्यक विचारोपरान्त अपीलार्थी के अपील आवेदन को स्वीकृत करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल एवं अंचल अधिकारी, राजमहल को आदेश दिया जाता है कि विवादी खास (पोखर) भूमि से अतिक्रमण मुक्त कर प्रबंधित भूमि की श्रेणी में दर्ज कराना सुनिश्चित करेंगे। पारित आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावें। वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित। उपायुक्त साहेबगंज। उपायुक्त साहेबगंज।	

Digitally signed by RAMNIWAS YADAV
Date: 2022.11.23 13:27:44 +05:30
Location: 192.168.29.209